

दो रुपये
TWO RUPEES

2 RS COURT FEE 2 RS
भारत INDIA
दो रुपये
TWO RUPEES

22

न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र.

प्र. कुं. 197 नि. 283-III/97

निग. 283 III/97

कमांक 34 - III
श्री राजराम शर्मा
प्रतिपक्ष द्वारा मा. दिनांक 06.12.97
को प्रस्तुत
महोदय
06.12.97
दस्तावेजों को कोर्ट
राजस्व मंडल म.प्र. के मातहत

निग. 283 III/97

- 1- मातादीन शर्मा
 - 2- रामगोपाल पुत्रगण रामवरण लाल
निवासीगण ग्राम भवसा तहसील
गोहद जिला भिंड --- प्राचीगण
बनाम
 - 1- महिला रामाबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण
नि. ग्राम चन्दहारा तहसील गोहद
जिला भिंड
 - 2- जगदम्बा प्रसाद पुत्र रामवरणलाल
नि. ग्राम भवसा तहसील गोहद
जिला भिंड
- प्रतिप्राधीगण

निगरानी विद्वादेश अपर आयुक्त चम्बल संभाग
आदेश दिनांक 19.11.97 पारित प्र. कुं. 3/96-97
नि. निगरानी अन्तर्गत धारा 50. रै.को.

श्रीमान् x

निगरानी प्राधीगण निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

1/11/11/97
4-12-97

- 1- यहकि, अधीनस्थ अपर आयुक्त महोदय ने ना तो स्थान से संबंधित विधि पर भली भाँति विचार किया और ना प्राधी की अपीलतियों का निराकरण किया । ऐसी अवस्था में अपर आयुक्त महोदय को आदेश त्रुटि पूर्ण होने से निरसन योग्य है ।
- 2- यहकि, प्रतिप्राधी कुं. । विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थी, ऐसी अवस्था में जब तक प्रतिप्राधी कुं. । द्वारा प्रस्तुत

15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनादेश आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 283-तीन/1997

जिला भिण्ड


स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

3-4-2014

आवेदकगण के अधिवक्ता अनुपस्थित । अनावेदक क्रमांक 2 पूर्व से एकपक्षीय । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के फौत होने के उपरांत वारिसान आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः प्रकरण में आवेदक की अरुचि के कारण एवं इस प्रकरण को चलाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है ।


प्रशासकीय सदस्य